Speed Post

संचालनालय पुरातत्त्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय

महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, सिविल लाईन रायपुर, छत्तीसगढ़

फैक्सः 0771-2234731, दूरभाषः 0771-2537404, ई-मेलः deptt. archaeology@gmail.com

रायपुर दिनांक 06/03/2025

क्र/1033/पु.अभि.संग्र./संगोष्ठी/2025

प्रति,

नितेश कुमार मिश्र,
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व
अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492010।

विषय : वित्तीय वर्ष 2024-25 में आर्थिक अनुदान स्वीकृत होने की सूचना एवं वेण्डर प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध कराने विषयक।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप से प्राप्त प्रस्ताव **"इतिहास एवं पुरातत्व"** पर तीन दिवसीय अधिवेशन का आयोजन दिनांक 07 से 09 मार्च 2025 तक होना है जिस पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही उपरांत वित्तीय वर्ष 2024-25 में आर्थिक अनुदान राशि रूपये 2,00,000/- **(दो लाख रूपए मात्र)** निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है।

1. संस्था के लिए आवश्यक होगा कि कार्यक्रम आयोजन/प्रकाशन के पूर्व पत्र, बैनर, प्रमाणपत्र, स्मारिका इत्यादि में संस्था तथा **"सहयोग-संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन"** का स्पष्ट उल्लेख संस्था के नाम के आकार के ही अक्षरों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। आयोजन के पूर्व बैनर, फ्लैक्स, आमंत्रण पत्र एवं अन्य प्रकाशित सामग्री इत्यादि अवलोकन हेतु संचालनालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध करानी होगी।
2. आयोजन/कार्यक्रम/प्रकाशन उपरांत कार्यक्रम प्रतिवेदन, व्यय विवरण, बिल/व्हाउचर की अभिप्रमाणित छायाप्रति, फोटो, सीडी/डीवीडी, प्रेस कटिंग आदि की छायाप्रति विभाग में उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी।
3. उक्त कार्यक्रम/आयोजन हेतु किसी अन्य संस्था से यदि कोई अनुदान/सहायता राशि या अन्य स्त्रोत (पंजीयन शुल्क आदि) के द्वारा राशि एकत्र/प्राप्त हुई हो तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में अनिवार्यतः करेंगे।
4. स्वीकृत अनुदान राशि में से नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौत्री कर शेष राशि का भुगतान किया जाएगा, कटौती का प्रमाण-पत्र विभागीय वेबसाइट **www.cgculture.in** से प्राप्त कर सकते हैं।
5. वेण्डर प्रपत्र (संलग्न) से संबंधित जानकारी के साथ पैन कार्ड एवं पासबुक/चेक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. आर्थिक अनुदान राशि 50,000/- या इससे अधिक होने पर **चार्टर्ड एकाउन्टेंट का अंकेक्षण** प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
7. स्वीकृत की गई राशि अनंतिम है, प्रतिवेदन प्राप्ति व परीक्षणोपरांत स्वीकृत की गई राशि के संबंध में पुनर्विचार किया जा सकता है।
8. उक्त आयोजन हेतु अन्य संस्थाओं/संगठनों से प्राप्त अनुदान-सहायता राशि एवं पंजीयन द्वारा प्राप्त राशियों की जानकारी भी प्रस्तुत करें।

उक्तानुसार वांछित जानकारी विभाग में शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे आर्थिक अनुदान जारी करने हेतु आगामी कार्यवाही की जा सके।

संलग्न : यथोक्त।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक
पुरातत्त्व अभिलेखागार एवं
संग्रहालय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्त्व को पहचाने और उसे संरक्षण प्रदान करें।

Archaeololgy/Seminar/2024-25